

दिनांक 20.04.2016 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की बजट की बैठक आयोजित की गई। बैठक निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया।

Income

Sr. No.	Head Of Account	Proposed Budget 2016-17 (In Lacs)	निर्णय
1	Stamp Duty	2500.00	सर्वसम्मति से स्वीकार है।
2	Miscellaneous(Tower Fees,RTL,Interest Rcvd. Tender Form Fees, Transfer Fees)Fire Charges,Fire N.O.C.	1100.00	
3	House Tax Proposed & Arrear	1732.00	
4	Fire Tax	40.00	
5	Contract Of Dead Animal	10.00	
6	Motor Tax	100.00	
7	Development Charge	500.00	
8	Coping Fees	20.00	

9	Rent	171.00
10	Service Tax	25.00
11	Sale Of Land (Auction of Shops)	200.00
12	Garden & Road Side Trees	1.00
13	Tehbazari	4.00
14	Advertisement	100.00
15	Electricity Duty (Municipal Tax) @5%	200.00
16	Slaughter House	2.00
17	Excise Duty	400.00
18	Commercial Trade License	100.00
19	Adv. & Dep. Earnest money & Seccrity etc.	400.00
20	Show Tax	1.00
21	Cess	75.00
	Total	7681.00

EXPENDITURE

Sr.	Head Of Account	Proposed Budget	निर्णय
1	Establishment Including	4410.00	सर्वसम्मति से स्वीकार है।
2	Office Contingency	1145.00	
3	Misc. Exp.	864.00	
4	Poor Relief Fund/Dev. Work	650.00	
5	Purchase Of Vehicle	50.00	
6	Advance & Deposited	200.00	
7	Service Tax	30.00	
8	Cess	75.00	
9	Planning /Survey/Sites	50.00	
	Total	7474.00	

Proposed Budget in Brief

Sr.	Particular	Amount (in Lacs)
1	Opening Balance 01-02-2016	8427.32
2	Proposed income 2016-17	7681.00
3	Total	16108.32
4	Proposed Expenditure 2016-17	7474.00
5	Proposed Balance	8634.32


बजट सर्वसम्मति से पारित होने उपरांत उपस्थित पार्षदों द्वारा मेयर महोदय की स्वीकृति से सदन में निम्न बिन्दु सदन में रखे गये:-

क्रम सं०	एजेन्डा	निर्णय
1.	बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने नगर निगम क्षेत्र में दिये गये 40 लाख रुपये के सफाई के	आयुक्त महोदय ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में दिये गये 40 लाख रुपये के सफाई के ठेके की नियम व

	टेके का विरोध करते हुए टैण्डर रद्द करवाने की मांग रखी।	शर्तों का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके लिए संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक अपनी रिपोर्ट आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को प्रस्तुत करेंगे।
2.	बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में आउटसोर्स से लगाये जाने वाले तथा हटाये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में उन्हें अवगत नहीं करवाया जाता। अतः भविष्य में सदन में स्वीकृति उपरांत ही कोई कर्मचारी कार्यालय में लगाया जायें।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
3.	वार्ड नं0 7,8 तथा 20 के पार्षदों ने कहा कि उनके गांव के नगर निगम में शामिल होने के बाद भी उनके वार्डों में विकास कार्य काफी धीमी गति से हो रहे हैं तथा अधिकारियों द्वारा कार्य प्राथमिकता से नहीं किये जाते।	आयुक्त महोदय ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आदेश दिये कि सभी पार्षदों द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर एवं समयबद्ध तरीके से करवाये।
4.	वार्ड नं0 7,8 तथा 20 के पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तथा वार्ड में केवल 2 घण्टे ही बिजली आती है। अतः वार्ड में बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाये।	आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया नगर निगम में शामिल गांवों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों से बातचीत की जायेगी।
5.	बैठक में उपस्थित पार्षदों ने कहा कि नगर निगम की सामान्य बैठक में दूसरे विभागों से अधिकारी नहीं आते कई बार अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेज देते हैं। जिसके कारण वार्डों में विकास कार्य समुचित ढंग से नहीं हो पा रहे हैं।	आयुक्त महोदय ने आदेश दिया कि नगर निगम की सामान्य बैठक में विभिन्न विभागों से अधीक्षक अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हों। इसके लिए सभी विभागों में पत्र लिखा जाये।
6.	वार्ड नं0 15 के पार्षद श्री अजय जैन ने कहा कि उनके वार्ड में सब्जीमंडी, कसाई चौक व इंदिरा कालोनी इत्यादि में अतिक्रमण काफी अधिक है। अतः अतिक्रमण शीघ्र अति शीघ्र हटवाया जाये।	आयुक्त महोदय ने आदेश दिये कि वार्ड नं0 15 से अतिक्रमण हटवाने के लिए संयुक्त आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मार्केट एसोसियेशन के प्रधान एवं प्रतिनिधियों से बैठक की जाये इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए मुनादी करवाई जाये। मुनादी में अतिक्रमण हटाने की तिथि बताई जाये। यदि कोई दुकानदार मुनादी के बाद अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाता है तो उस पर कार्रवाई की जाये।

7.	वार्ड नं0 11 की पार्षद अनिता मिगलानी ने बताया कि उनके वार्ड वासियों द्वारा शौचालय बनाने हेतु फार्म भरे गये थे परन्तु शौचालयों का पैसा अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिला है।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिये कि 15 दिन के अन्दर-2 सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भिजवायें।
8.	बैठक में उपस्थित पार्षदों ने कहा कि वार्डों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तथा सफाई कर्मचारियों का भी आभाव है।	आयुक्त महोदय ने आदेश दिये कि संयुक्त आयुक्त की देखरेख में वार्ड वार्ड सूची बनाकर मोनिअरिंग टीम का गठन किया जाये। यह टीम समय-2 पर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी तथा किसी प्रकार की कोई भी कोताही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई की जाये।


इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 31/5/16

क्रमांक MCR/Mayor/2016/1599-1603

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-


1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सांसद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक

क्रमांक MCR/Mayor/2016/

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
10. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

7.	वार्ड नं0 11 की पार्श्व अनिता मिगलानी ने बताया कि उनके वार्ड वासियों द्वारा शौचालय बनाने हेतु फार्म भरे गये थे परन्तु शौचालयों का पैसा अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिला है।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिये कि 15 दिन के अन्दर-2 सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भिजवायें।
8.	बैठक में उपस्थित पार्श्वों ने कहा कि वार्डों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तथा सफाई कर्मचारियों का भी आभाव है।	आयुक्त महोदय ने आदेश दिये कि संयुक्त आयुक्त की देखरेख में वार्ड वार्ड सूची बनाकर मोनिअरिंग टीम का गठन किया जाये। यह टीम समय-2 पर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी तथा किसी प्रकार की कोई भी कोताही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई की जाये।

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्श्वों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

-50-

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 31/5/16

क्रमांक MCR/Mayor/2016/ 1599-1603

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सांसद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।



मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक

क्रमांक MCR/Mayor/2016/

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. सभी पार्श्वदगण, नगर निगम, रोहतक।
10. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।



मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

7.	वार्ड नं0 11 की पार्षद अनिता मिगलानी ने बताया कि उनके वार्ड वासियों द्वारा शौचालय बनाने हेतु फार्म भरे गये थे परन्तु शौचालयों का पैसा अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिला है।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिये कि 15 दिन के अन्दर-2 सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भिजवायें।
8.	बैठक में उपस्थित पार्षदों ने कहा कि वार्डों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तथा सफाई कर्मचारियों का भी आभाव है।	आयुक्त महोदय ने आदेश दिये कि संयुक्त आयुक्त की देखरेख में वार्ड वार्ड सूची बनाकर मोनिअरिंग टीम का गठन किया जाये। यह टीम समय-2 पर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी तथा किसी प्रकार की कोई भी कोताही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई की जाये।

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

-sd-

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक

क्रमांक MCR/Mayor/2016/

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सांसद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सोंपला किलोई।
4. श्री मनीष प्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

-sd-

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 31/5/16

क्रमांक MCR/Mayor/2016/1604-15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
10. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

-sd-

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।